न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/99/2018

अपीलार्थी
श्री दीपेन्द्र आर्य
निवासी–ग्राम व पोस्ट–भुनगडा अहीर
तहसील–मुण्डावर (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.07.2018

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 28.02.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे)1 के तहत विविध 05 बिन्दुओं में वर्णित दस्तावेज/पत्र/निर्देश/आदेश संबंधी रिकॉर्ड का अवलोकन/निरीक्षण कराने हेतु अधिनियम में विनिर्दिष्ट समयावधि में दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु तिथि, समय व स्थान से विदित कराने हेतु अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के उक्त प्रथम आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./2018/674 दिनांकः 23.03.18 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी सूचित किया कि" प्रार्थना–पत्रानुसार चाही गई सूचना कार्यालय में इकजाई रूप में संधारित नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का किसी भी कार्यदिवस में अवलोकन कर चाहे गये दस्तावेजों का चिन्हिकरण कर सूचित करें।"
4. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 28.02.18 एवं तत्संबंधी प्रा0पत्र दिनांकः 11.04.18 के अनुसार पूर्ण निरीक्षण नहीं हो पाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 28.06.18 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई एवं अपील में अंकन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अवलोकन कराने हेतु ना ही सूचित किया गया और ना ही अपेक्षित सहयोग किया गया।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2253–54 दिनांकः 01.06.18 के माध्यम तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. अपीलार्थी अनुपस्थित रहा एवं प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से भी आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।

10/7/18

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

7. पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का मनन किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 28.02.18 के संबंध में पत्रांकः 674 दिनांकः 23.03.18 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में अपीलार्थी द्वारा वांछित रिकॉर्ड जो कि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्रानुसार इकजाई रूप में उपलब्ध नहीं है के अवलोकन हेतु किसी भी कार्यालय दिवस में निरीक्षण करने हेतु लिखा जा चुका है एवं अपीलार्थी के दिनांकः 11.04.2018 को उनके कार्यालय में उपस्थित होने पर आंशिक रूप से रिकॉर्ड का अवलोकन भी कराया गया है।

8. अपीलार्थी के आवेदन दिनांकः 28.02.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विविध 05 बिन्दुओं पर पृथक–पृथक वर्णित दस्तावेज / पत्र / निर्देश / सुझावादि का निरीक्षण चाहा गया है जो प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज निरीक्षण, वृहद होने के कारण किसी एक विशेष दिवस को निरीक्षण नहीं कराया जा सका तथापि लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण हेतु वांछित रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित संधारित कर निरीक्षण हेतु अविलम्ब आमंत्रित कर निरीक्षण करा दिया जावे एवं रिकॉर्ड से संबंधित अधीनस्थ कार्मिकों को उक्त निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करने हेतु पाबन्द करें।

9. अस्तु अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

10/7/18

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)